

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 11/2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
गंवरी पत्नि हरखाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. भेराराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी भूका वगतसिंह 2. आसूराम पुत्र पोकरराम 3. खेताराम पुत्र पोकरराम 4. दमाराम पुत्र मंगलाराम 5. भगवानाराम पुत्र खरताराम 6. भोपाराम पुत्र पोकरराम जाति मेघवाल निवासी भूका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 7. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा	

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

- श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थनी की ओर से उपस्थित।
- विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक -06.06.2025



उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

1. संक्षेप में आवेदन के सुरंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थनी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह के ग्राम भूका वगतसिंह में खसरा संख्या 635/6 रकबा 4.2068 हैक्टेयर खातेदारी का आया हुआ है। प्रार्थनी व विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह के ग्राम भूका वगतसिंह में खसरा संख्या 635/6 रकबा 4.2068 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थनी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थनी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह के ग्राम भूका वगतसिंह में खसरा संख्या 635/6 रकबा 4.2068 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थनी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह के ग्राम भूका वगतसिंह में खसरा संख्या 635/6 रकबा 4.2068 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थनी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह के ग्राम भूका वगतसिंह में खसरा संख्या 635/6 रकबा 4.2068 हैक्टेयर भूमि प्रार्थनी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थनी विवादित भूमि का रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसकी प्रार्थनी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थनी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त  
सिणधरी

5. लिहाजा, प्रार्थिनी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह के ग्राम भूका वगतसिंह में खसरा संख्या 635/6 रकबा 4.2068 हैक्टियर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिशनर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थिनी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थिनी मौके पर अदा करेगी। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 06.06.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी